कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–44/2022–69 दिनांक :–11.02.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत स्थायी पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने का कार्य हेतु कुल **रू0 36.031 लाख (छत्तीस लाख तीन हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–06/2021–31/स्वी0 व0प0 दिनांक–04.02.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या–4/यो0ब0–06/2021–51/आ0 व0प0 दिनांक–04.02.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–39–स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 36.031 लाख (छत्तीस लाख तीन हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179639010103	13.437
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179639010323	22.594
कुल :–		**36.031**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060179639010103 तथा 19S24060179639010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्ग दर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तद्नुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग–NRLM, झारखण्ड के साथ समन्वय किया जाय। NRLM के बिक्री केन्द्रों की मदद PALAS से ली जाय ताकि समेकित बाजार के कारण उत्पाद की पहुँच तथा माँग एवं मूल्य सही एवं समुचित मिल सके।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

9. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

10. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

11. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

12. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश तथा अद्यतन निर्देश लागू होंगे।

20. आवंटित राशि व्यय न होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 20.03.2022 तक कर दिया जाए।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0व0–44/2022–69** **दिनांक–11.02.2022**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/जमशेपुर पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ पलामू/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0व0–44/2022–69** **दिनांक–11.02.2022**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ साहेबगंज/सिमडेगा/लोहरदगा/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ सरायकेला–खरसावां/ लातेहार/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चड योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत स्थायी पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने का कार्य का प्रमंडलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2021–22		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			103361.56	**173812.00**	**277173.56**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	20000	2.067	3.476	**5.543**
2	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	10000	1.033	1.738	**2.771**
3	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	10000	1.033	1.738	**2.771**
4	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	10000	1.033	1.738	**2.771**
5	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	10000	1.034	1.738	**2.772**
6	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	10000	1.034	1.738	**2.772**
7	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	10000	1.034	1.738	**2.772**
8	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	10000	1.034	1.738	**2.772**
9	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	10000	1.034	1.738	**2.772**
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	20000	2.067	3.476	**5.543**
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	10000	1.034	1.738	**2.772**
कुल योग :–		**130000**	**13.437**	**22.594**	**36.031**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

E:\ANIL\2021-22\Allotment\TSP\Seed Orchard\Seed Orchard (TSP)

अनु0–2

स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी प्रति मानव दिवस :– 311.33 रुपये   स्थायी बेडों की संख्या–20

लम्बे पौधे 10'' X 16'' पॉलीबैग में –10000 (दस हजार)

क्रम	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी रु0 में	सामग्री रु0 में	कुल व्यय रु0 में
1	2	3	4	5	6
स्थायी पौधशाला में 10''×16'' पॉलीबैग में लम्बे पौधे उगाने हेतु पौधों का लक्ष्य–10,000					
	प्रथम वर्ष				
1	स्थायी बेडों का निर्माण 12.20 मी0 X 1.22 मी0 X 0.075 मी0 (3'')–25 sunken बेड	19	5915.27		5915.27
2	हाई डेन्सिटी पॉलीबैग का क्रय–10"×16"×60 माइक्रोन साईज का –11,000 बैग (10: अतिरिक्त सहित) परिवहन व्यय सहित			55000.00	55000.00
3	10"×16" साईज के 11,000 पॉली बैग भराई के लिए मिट्टी, बालु एवं गोबर का क्रय (ratio 2:1:1)			37642.00	37642.00
4	मिट्टी, गोबर एवं बालु का मिश्रण तैयार करना, चालना एवं 10"×16" साईज के 11,000 पॉली बैगों में मिश्रण की भराई	175	54482.75	0.00	54482.75
5	11,000 स्टम्प/पौधा स्थायी पौधशाला से क्रय के लिए (11000 X /5 प्रति)			55000.00	55000.00
6	6000 स्टम्प स्थाई पौधशालाओं से प्राप्त करके स्टाम्प बनाने एवं 10"x16"x60 माईक्रोन साइज में लगाना एवं पुआल से ढकना।	25	7783.25	1000.00	8783.25
7	25 पॉलीशीट का क्रय– /320/–प्रति पीस		0.00	8000.00	8000.00
8	उर्वरक, रसायन, माइक्रोन्युट्रिएन्स एवं हारमोनों का क्रय :–				0.00
9	कीटनाशक–/0.0005 ltr/पौधा– कुल 5 लीटर @450/ltr			2250.00	2250.00
10	Micronutrients & Hormones - LS			3000.00	3000.00
11	DAP -5 ग्रा0/पौधा–55 किग्रा0 /1350/ प्रति 50 Kg			1485.00	1485.00
12	10"×16" साईज के 5000 पॉलीबैगों में transplanting कार्य	25	7783.25		7783.25
13	10"×16" साईज के 11,000 बैगों में transplanted पौधों का पटवन, कोड़नी–निकोनी, घास की सफाई आदि तथा डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मती एवं संचालन पर व्यय सहित– माह अप्रैल से मार्च तक	88	27397.04	5000.00	32397.04
14	आकस्मिक कार्य 2%			5435.00	5435.00
	योग :–	332	103361.56	173812.00	277173.56
B	द्वितीय वर्ष	358.00	(वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए 15 प्रतिशत की वृद्धि)		
1	अप्रैल से 30 जून तक पौधों में पानी पटवन आदि	132	47256.00	7500.00	54756.00
2	आकस्मिक कार्य 2%			1095.00	1095.00
	योग :–	132	47256.00	8595.00	55851.00
	कुल	464	150617.56	182407.00	333024.56

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/69 दिनांक - 11-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एडवाइस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीड आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79708	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात सौ
2	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीड आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79711	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	103,300.00 रुपये एक लाख तीन हजार तीन सौ
3	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीड आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79713	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	103,300.00 रुपये एक लाख तीन हजार तीन सौ

योग: रुपये चार लाख तेरह हजार तीन सौ 413,300.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 59.98.27.139 Run Date: 11/2/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/69 दिनांक - 11-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79715	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	103,300.00 रुपये एक लाख तीन हजार तीन सौ
5	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79718	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	103,400.00 रुपये एक लाख तीन हजार चार सौ
6	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79720	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	103,400.00 रुपये एक लाख तीन हजार चार सौ

योग: रुपये सात लाख तेइस हजार चार सौ 310,100.00

क्रमिक योग: 723,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 59.98.27.139 Run Date: 11/2/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/69 दिनांक - 11-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एलकोस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.		आवंटित राशि
7	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79724	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	रुपये एक लाख तीन हजार चार सौ	103,400.00
8	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79728	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 03 - मजदूरी	रुपये एक लाख तीन हजार चार सौ	103,400.00
9	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79729	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	रुपये एक लाख तीन हजार चार सौ	103,400.00

योग: रुपये दस लाख तैंतीस हजार छः सौ 310,200.00

क्रमिक योग: 1,033,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF-DEV JHARKHAND
RANCHI

 59.58.27.139 Run Date: 11/2/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/69 दिनांक - 11-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79732	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV,RANCHI 03 - मजदूरी	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात सौ
11	S 19 24060179639010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79734	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	103,400.00 रुपये एक लाख तीन हजार चार सौ
12	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज आर्चेड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79740	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	347,600.00 रुपये तीन लाख सैंतालीस हजार छः सौ

योग: रुपये सोलह लाख इक्यानबे हजार तीन सौ 657,700.00

क्रमिक योग: 1,691,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 59.98.27.139 Run Date: 11/2/2022

क्र.सं.	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79743	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ
14	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79745	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ
15	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79748	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ

योग: 521,400.00

क्रमिक योग: रुपये बाइस लाख बारह हजार सात सौ 2,212,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/69 दिनांक - 11-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79751	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ
17	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79754	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ
18	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79759	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ

योग: रुपये सत्ताइस लाख चौंतीस हजार एक सौ 521,400.00

क्रमिक योग: 2,734,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF-DEV, JHARKHAND
RANCHI

 59.98.27.139 Run Date: 11/2/2022

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/69 दिनांक - 11-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79764	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ
20	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79766	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ
21	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01-स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79769	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	347,600.00 रुपये तीन लाख सैंतालीस हजार छः सौ

योग: 695,200.00

क्रमिक योग: रुपये चौंतीस लाख उन्तीस हजार तीन सौ 3,429,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-44/2022/69 दिनांक - 11-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179639010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं बीज बागान 01-स्थायी पौधशाला एवं बीज बागान 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Canteral Scheme : NA	79772	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	173,800.00 रुपये एक लाख तिहत्तर हजार आठ सौ

योग:	रुपये छत्तीस लाख तीन हजार एक सौ	173,800.00
क्रमिक योग:		3,603,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 59.98.27.130 Run Date: 11/2/2022